भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1951

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

भिखारियों के लिए आश्रय

1951. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामाजिक न्याय के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में समावेशन तथा विविधता के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मादक दवाओं की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना को लागू करने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) सरकार द्वारा देश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और अवैध दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी मान्यता तथा कल्याण और पुनर्वास तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान तथा भिखारियों को आश्रय, पुनर्वास और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, मैनुअल स्कैवेंजरों और वरिष्ठ नागरिकों के विकास संबंधी कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल विभाग है।

सामाजिक न्याय के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सार्वजनिक जागरूकता अभियान, शैक्षिक पहल,

पहल, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग, लाभवंचित लाभवंचित समुदायों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने और समाज के भीतर विविध समूहों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून जैसे तरीके अपनाता है।

(ख): नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने में हुई प्रगति का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि देश में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और अवैध दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसका विवरण **अनुबंध-II** में सूचीबद्ध है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले तथा जब्त की गई नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा निम्नानुसार है:-

सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा जब्त की गयी नशीली दवाओं की मात्रा और दर्ज मामलों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जब्त कुल मात्रा (किलो में)	कुल मामले
1	2020	10,82,511	55,622
2	2021	16,09,612	68,144
3	2022	12,53,662	1,02,769
4	2023	13,89,725	1,09,546
5	2024	13,30,600	89,913

(घ): देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी मान्यता तथा कल्याण एवं पुनर्वास तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, "स्माइल - आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों के लिए सहायता" तैयार की है, जिसमें उप-योजना "भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" शामिल है। यह योजना वर्तमान में ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा पर्यटन महत्व वाले शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके प्रमुख घटकों में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान, उनका बचाव और आश्रय गृहों में पुनर्वास तथा मौजूदा केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय करते हुए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यापक पुनर्वास शामिल है।

अनुबंध-I

"भिखारियों के लिए आश्रय" विषय पर 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के बिंदु (ख) का उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से निपटने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को लागू कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

ii. 'नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ, किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग के शीघ्र निवारण के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)'; और

iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

2. एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 350 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 124 डीडीएसी, 142 एटीएफ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों की आसान पहुंच के लिए जियो-टैग किया गया है।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, '14446' का संचालन किया जा रहा है, ताकि हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सके। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को सबसे अधिक संवेदनशील 272 अभिज्ञात जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत की गई थी और अब इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

iv. अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 14.79 करोड़ से अधिक लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.96 करोड़ से अधिक युवा और 2.97 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 4.16 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

v. एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है।

vii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) अभियान के बारे में उपयोगकर्ता/अवलोकनकर्ता को एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

viii. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ आयोजित की गई थी और 2 लाख से अधिक संस्थानों के लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया था।

अनुबंध-II

"भिखारियों के लिए आश्रय" विषय पर 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के बिंदु (ग) का उत्तर

i. देश के सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया गया है, जहां विशेष डीजीपी राज्य में एएनटीएफ प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ii. केंद्र की विभिन्न ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) आदि के साथ वास्तविक समय में खुफिया जानकारी का समन्वय और साझाकरण बढ़ाया गया है।

iii. "राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सहायता" योजना के अंतर्गत पात्र राज्यों को उनकी एंटी नारकोटिक्स इकाइयों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

iv. नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए नशीली दवाओं के उपयोग और इससे संबंधित स्वास्थ्य तथा आर्थिक लागतों पर उपयोगी जानकारी संकलित करते हुए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों को भेजा गया है, ताकि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

v. भारत के अंदर और विदेशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और नियंत्रित डिलीवरी (सीडी) ऑपरेशन नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

vi. नशीली दवाओं के मार्ग पर निवारक और निषेधात्मक गहन प्रयास किए जाते हैं।

vii. एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन *"मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस)* को 24x7, टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में बनाया गया है। तदनुसार, मानस की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को दर्ज करने, उनका पंजीकरण करने, उन्हें ट्रैक करने और उनके समाधान के लिए एकल मंच प्रदान करता है।

अनुबंध-III

"भिखारियों के लिए आश्रय" विषय पर 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के बिंदु (घ) का उत्तर

i. "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है और किसी व्यक्ति के स्वयं-अनुभूत लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देता है। इसमें ट्रांसजेंडरों के प्रति संवेदनशील और गैर-कलंककारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि समाज में उनके लिए गरिमामय और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में उनके साथ भेदभाव न करने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और कई कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया जा सके। विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियम, 2020" लागू किया है।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और विधानों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देने, समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने, सरकार के सभी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की गई थी।

iii. उप-घटक "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम" के साथ आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कौशल विकास, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गरिमा गृह के रूप में सुरक्षित आश्रय, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे कई घटक शामिल हैं।

iv. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पीएमजेएवाई स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की आयुष्मान भारत स्कीम के साथ अभिसरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

v. इस विभाग ने 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (2) और महाराष्ट्र (3) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 18 गरिमा गृह, आश्रय गृह स्थापित किए हैं।

vi. पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल शुरू किया गया है। यह आरंभ से अंत तक एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जहां आवेदक टीजी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी कार्यालय में गए बिना जारी होने के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। इस पोर्टल पर 71 लाख से अधिक विजिटर आ चुके हैं और अब तक 25,809 प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

vii. अब तक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, सिक्किम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू आर कश्मीर, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 13 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

viii. अब तक राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा अंडमान और निकोबार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 20 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए जा चुके हैं।

ix. इस विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

x. विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों आदि के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 725 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

xi. यह विभाग अपने स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है।

****